भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

झारखण्ड JHARKHAND

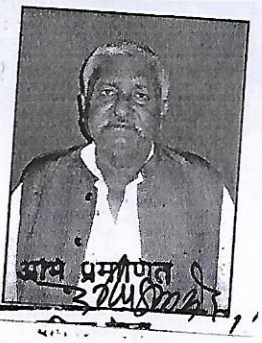

001772

आत्म प्रमाणित

46

1. लेख्यकारी का नाम व पता —

संतोष तिवारी पिता स्व. नन्द कुमार तिवारी जाति ब्राह्मण निवास स्थान ग्राम सुदना, पुलिस लाईन रोड, पो. सुदना, थाना मेदिनीनगर जिला पलामू, पेशा गृहस्थी वो व्यवसाय, नागरिकता भारतीय। PAN- ADOPT 1763F

2. लेख्यधारिणी का नाम व पता —

श्रीमति ममता देवी पति श्री सुनील कुमार अग्रवाल, जाति बनियाँ (मोदी) निवास स्थान शहर कुण्ड मुहल्ला पो. वो थाना मेदिनीनगर जिला पलामू, पेशा गृहणी, नागरिकता भारतीय।

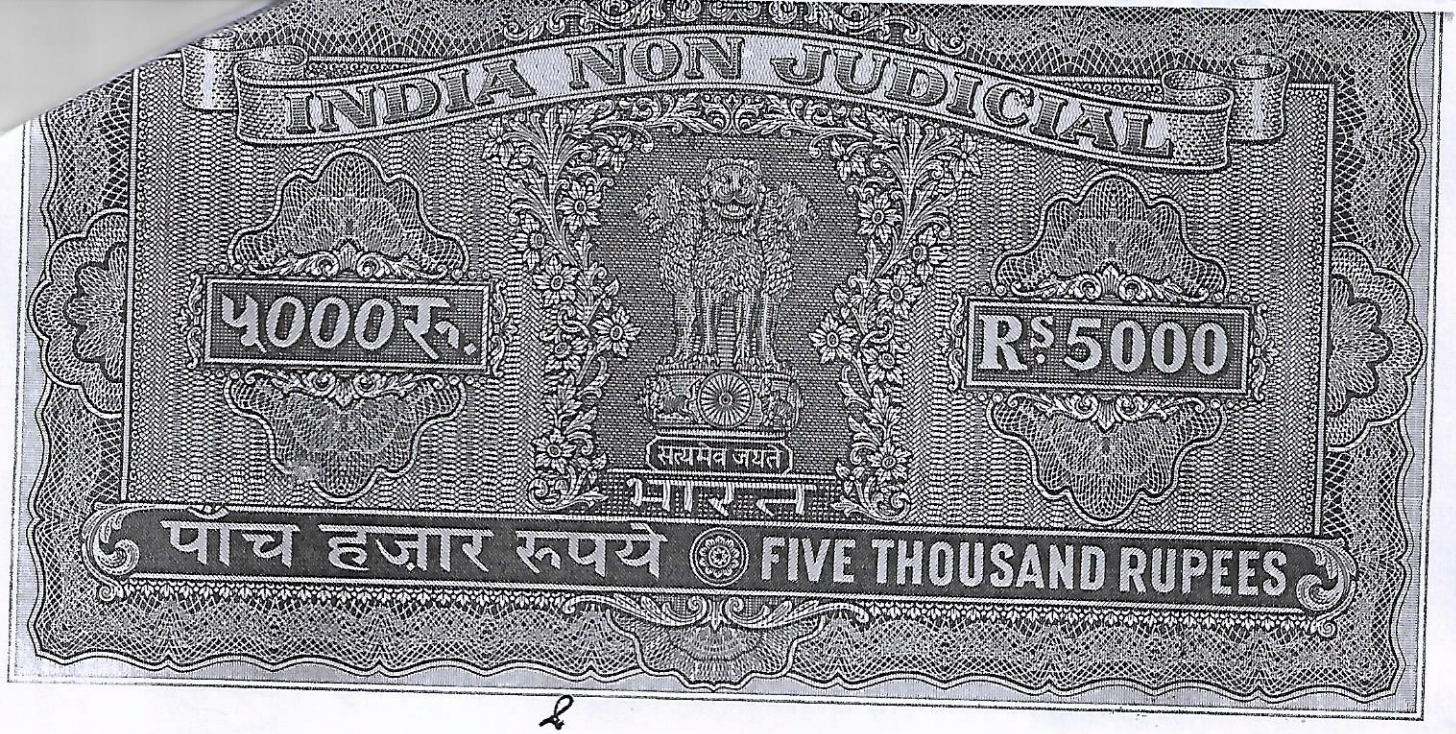

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. | सत्यमेव जयते भारत | Rs 5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

३. लेख्य प्रकार: विक्रय पत्र (Sale deed) ——

४(i) बाजार मूल्य: मो· ३.८५.०००(तीन लाख पचासी हजार) रुपये।

(ii) देय मूल्य: मो· ४.००.०००(चार लाख) रुपये ——

(iii) निर्धारित मूल्य: मो· १.६२.५००/- रुपये प्रति डीसमील ——

५. सम्पति का विवरण:- मुश्त 0२(दो)डी. जमीन यानी ८६५ वर्गफीट. गृह निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण के लिए आवासीय परती टांड़ खेत अन्दर ग्राम सुदना थाना न· १६१, अंचल सदर मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके वो जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू। हकियत कास्त रैयती मौरूसी खतियानी जमीन बिक्री कर रहा हूँ। इस विक्रय पत्र के साथ बिक्री जमीन का नक्सा संलग्न है जो बिक्री जमीन लाल रंग से दर्शाया गया है. जो इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग है. जो शहरी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है।

थानानं १६१ : मौजा सुदना : तौजीनं २१ : खेवटनं १ : हल्का नं १

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

04AA 378508

मैं संतोष तिवारी वल्द स्व. नन्द कुमार तिवारी
सा. मौजा वो डाकघर सुदना थाना मेदिनीनगर
जिला पलामू. निम्नलिखित एकरार करता हूँ।

यह कि मौजा सुदना थाना नं. 171. अंचल सदर मेदिनीनगर जिला पलामू अंतर्गत खाता नं. प्लौट नं. मेरी मौरूसी रैयती जमीन है. जिसमें से रकबा 6 डी. जमीन को बिक्री करने हेतु श्री सुनील कुमार अग्रवाल पि० श्री रामदास प्रसाद सा. कुन्ड मुहल्ला शहर वो थाना मेदिनीनगर जिला पलामू निवासी के हांथों बिक्री करने हेतु मो. 4,00,000(चार लाख) रुपये प्रति डिसमील के दर से तय पा कर आज अग्रीम मो. 7,00,000(सात लाख) रुपये पा रहा हूँ। शेष राशी उक्त जमीन का केवाला निष्पादित करने के दिन पाऊँगा। यदि तय राशी के मुताबिक शेष

संतोष तिवारी
26.02.15

लेकर केवाला निष्पादित नहीं करता हूँ तो क्रेता मेरे उपर कानूनी कारवाई कर सकते हैं।

यह कि सारी बात को सोच समझ कर वो बिना किसी के डराये-धमकाये एकरार नामा लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहे। आज तारीख मुकाम मेदिनीनगर-जिला पलामू।

संतोष तिवारी

गवाहन बाहस्ताक्षर

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

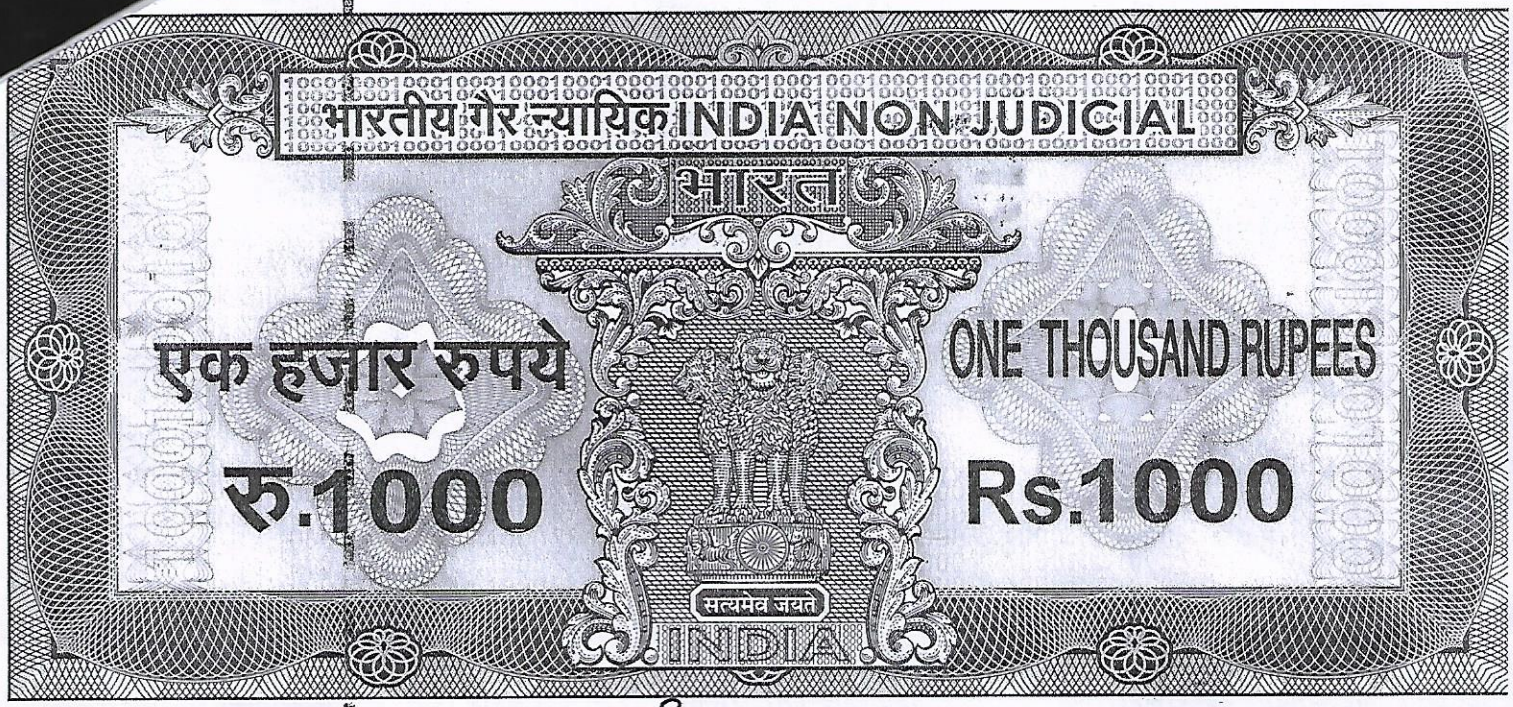

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

३

झारखण्ड JHARKHAND

A 367611

खाता नं.	प्लौट नं.	रकबा	चौहद्दी
१६ (सोलह)	१६१९ (सोलह सौ उन्नीस)	१.६५डी.	उ. १२ फीट चौड़ा रास्ता। द. नीज विक्रेता द्वारा ४ फीट चौड़ा नाली छोड़कर जमीन ——।
१६ (सोलह)	१६१७ (सोलह सौ सत्रह)	०.६५डी.	प. आज के क्रेता रूपा कुमारी। पू. ठाकुर महाराणा प्रताप सिंह वगैरह ——।
१.	२.	०२३डी. जमीन बिक्री कर रहा हूँ।	

जमीन का माप

उत्तर से दक्षिण पूरब तरफ ३४'-६" चौंतीस फीट छः इंच ——।

उत्तर से दक्षिण पश्चिम तरफ २८'-०" अठाईस फीट ——।

पूरब से पश्चिम दोनों तरफ २८'-०" अठाईस फीट ——।

जिसका क्षेत्रफल ८६५ वर्गफीट होता है। ८६५

वार्षिक लगान अनुमानित :: मो. ५ (पाँच) रुपये —— ।

नाम मालिक: झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि उपर वर्णित ग्राम जुदना थाना नम्बर

रूपा कुमारी

गोपाल अग्रवाल

पाण्डेय प्रसाद अग्रवाल के

रोड - गुलाबगंज

...नाम से खतियान दर्ज है। दादा जी के देहान्त के
... उपरोक्त खाता, प्लौट की जमीन मैं पिताजी उत्तराधिकारी में प्राप्त किये। पिताजी के देहान्त के बाद मैं एकलौता पुत्र उपर वर्णित खतियानी जमीन का उत्तराधिकारी में प्राप्त किया हूँ। उपर वर्णित खाता, प्लौट की जमीन का डिमांड खास मो नाम संतोष तिवारी के नाम से मांग पंजी के पृष्ठ सं. 19/448 / 3104 पर चलता है। उपर वर्णित जमीन पर मैं कब्जा-दखल शांति पूर्वक रूप से दखल-कब्जा चला आ रहा है, संक्षेप में उपर वर्णित सम्पत्ति हकियत के सभी दोषों से मुक्त है।

यह कि इस समय मुझे आवश्यक कार्य हेतु एवं व्यवसाय की उन्नति हेतु काफी नगद रुपये की आवश्यकता आ पड़ी है। इसलिए मैंने उपर वर्णित खाता, प्लौट की जमीन को बिक्री करने का प्रचार किया तो अन्त में लेख्यधारीनी ने अपने पति के साथ आकर इसका भली-भांति निरीक्षण किया और इसके सभी सुविधाओं को देखते हुए इसके आज के बाजार भाव के अनुसार उचित तथा अधिकतम मूल्य मो. 4,00,000 (चार लाख) रुपये मूल्य निर्धारित किये तथा इसी निर्धारित मूल्य में इसे स्वयं ही लेख्यधारीनी खरीदना भी स्वीकार किये। मैंने भी इस मूल्यांकन को प्रत्येक बिन्दु से उचित तथा अधिकतम देख कर बिक्री के सौदे को पक्का कर दिया।

यह कि मैंने इसके मूल्य की पूरी राशी लेख्य-धारीनी से मो. 4,00,000 (चार लाख) रुपये निबंधन के पूर्व ही चुकती पा गया हूँ। तथा इसके मूल्य की राशी में से अब पाना शेष नहीं रह गया है। इसलिए यह केवाला (विक्रय पत्र) आज से ही पूरी तरह से असर में आ गया है और मैंने उपर वर्णित जमीन पर से अपना सम्पूर्ण स्वामित्व तथा दखल कब्जा हटा कर इस पर खास लेख्यधारीनी श्रीमति ममता देवी को स्वामित्व तथा दखल-कब्जा दे दिया। इस प्रकार से इस जमीन के सम्बंध में मुझे आज तक जो भी हक अधिकार तथा सुविधायें प्राप्त थे वे सब ज्यों के त्यों लेख्यधारीनी को प्राप्त आ...

संतोष तिवारी

ले- अनुप कुमार
शान्ति कुमार
मुहर्रिर उसादी
26/11/15

कि इस इसे अपनी इच्छानुसार उपभोग तथा उपभोग करने काम आवे। इस जमीन को जिस तरह से चाहे अपने उपभोग में लावे। इस जमीन पर अपना गृह निर्माण करा कर इसमें अपने सभी परिवार के साथ निवास करें या मकान बना कर इसमें जैसा चाहें उपयोग कर सकते हैं। अथवा जैसा उचित समझें इसका इस्तेमाल करें। इससे अब मुझे या मेरे किसी भी अन्य उत्तराधिकारी अथवा स्थानापन्न को कुछ संबंध या सरोकार नहीं रहा। अब इन्हें चाहिए कि इस जमीन के सम्बंध में झारखंड सरकार के अंचल कार्यालय मेदिनीनगर द्वारा खास अपने नाम से दाखिल-खारिज करा कर इसके लगान रसीदें को स्वयं ही भैयाचारी अपने नाम से प्राप्त किया करें।

यह कि इस दस्तावेज में वर्णित जमीन सरकारी भूमि वनभूमि, बन्दोबस्ती, आदिवासी, हरिजन, खाता की नहीं है, तथा इसके हस्तांतरण से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है। अगर इस जमीन में किसी भी प्रकार का विवाद इत्यादि भविष्य में पाया जायेगा तो उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी यानी विक्रेता की होगी। मैंने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पूर्णरूप का पालन करते हुए इसे बिक्री कर रहा हूँ।

इसलिए मैंने अपने शरीर तथा मन की पूर्ण स्वच्छता में अपना इच्छा तथा प्रसन्नता से इस विक्रय पत्र केवाला (Saledeed) को लिख दिया कि प्रमाण रहे वो काम आवे। आज तारीख २५।११।०८ मुकाम मेदिनीनगर जिला पलामू

८

ममता देवी

24/11/15

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है का बाये हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मैंने लिया गया है।

कातिब: दधिबल मेहता दस्तावेज नवीस अनु.सं. 105/03 मेदिनीनगर पलामू। केवाला लिखा और पढ़कर दोनों पक्षों को सुनाये समझाया दिया। बोले कि ठीक है। ता. 24/11/2015